न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2017RAAJu225RTA114 Khumaram etc Vs Mularam etc

1. खुमाराम पुत्र भोमाराम जाट
2. स्व. केसाराम पुत्र राणाराम जाट के कायममुकाम --
   a. श्रीमती टीपू पत्नी स्व. केसाराम जाट
   निवासीगण ग्राम बादरसर, तहसील शेरगढ
   जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. मूलाराम पुत्र मोडाराम जाट निवासी बादरसर, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
2. आसुराम पुत्र भोमाराम जाट निवासी बादरसर, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
3. चौथाराम पुत्र राणाराम जाट निवासी बादरसर, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
4. देवाराम पुत्र भगाराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती मीरादेवी पत्नी भगाराम निवासी बादरसर, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
5. श्रीमती मीरादेवी पत्नी भगाराम जाट निवासी बादरसर, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
6. पप्पुराम गोदपुत्र केसाराम जाट निवासी बादरसर, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
7. श्रीमती तीजो पत्नी राणाराम जाट, निवासी बादरसर, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
8. श्रीमती गवरी पुत्री राणाराम पत्नी हरजीराम जाट, निवासी ग्राम सोमेसर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
9. श्रीमती अणची पुत्री राणाराम पत्नी खेताराम जाट, निवासी फलसुण्ड तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
10. श्रीमती चन्दु देवी पुत्री केसाराम पत्नी हीराराम जाट, निवासी ग्राम नाथाबेरी दासानिया, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर
11. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ दिनांक 15 जुलाई 2016 राजस्व प्रकरण संख्या 73/2014 मूलाराम व अन्य बनम खुमाराम व अन्य

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री अर्जुलसिंह चौधरी, अधिक्वा रेस्पो. संख्या 3
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 11
अन्य रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 30/12/19

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 73/2014 मूलाराम व अन्य बनाम खुमाराम इत्यादि में दिनांक 15 जुलाई 2016 को पारित आदेश के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 25 अगस्त 2017 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

एक पक्षकार (रेस्पो. संख्या 8) पीठासीन अधिकारी के गांव के पते वाला है जिसके संबंध में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को इस तथ्य से अवगत कराया और प्रकरण को सुनने बाबत उन्हें कोई एतराज हो तो अवगत कराने बाबत बताने पर उभयपक्ष द्वारा सहमति दी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. ने ग्राम बादरसर तहसील शेरगढ स्थित निम्नलिखित आराजियात के संबंध में आराजी खसरा संख्या 924, 1004, 1006, 926, 1009, 1010, 1011, 1012, 1003; 1005, 1043, 923, 925, 1013 व 1014 के संबंध में एक दावा खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवारा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया और मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत स्थगन प्रार्थनापत्र पेश किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2016 को स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन चलने के दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29 जून 2017 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प सेतरावा में रखी गयी, जब दोनों पक्षकार उपस्थित हुए, मगर राजीनामा नहीं होने से प्रकरण पुनः नियमित कोर्ट में तारीख पेशी 15 जुलाई 2016 को रखा गया। दिनांक 15 जुलाई 2016 को बिना किसी पूर्व सूचना के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार पारित किया गया अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का कानूनी परिप्रेक्ष्य में अवलोकन ही नहीं किया गया और न ही अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु विचारणीय प्रथम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं बाबत कोई विचार किया गया।

मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन चलने के दौरान दिनांक 29 जून 2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29 जून 2017 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प सेतरावा में रखी गयी, जब दोनों पक्षकार उपस्थित हुए, मगर राजीनामा नहीं होने से प्रकरण पुनः नियमित कोर्ट में तारीख पेशी 15 जुलाई 2016 को रखा गया। दिनांक 15 जुलाई 2016 को बिना किसी पूर्व सूचना के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया और मिसल मूल वाद पत्रावली के साथ संलग्न रखे जाने के आदेश दिये गये। मूल वाद लंबित चलता रहा, मगर मिसल प्रार्थनापत्र मूल वाद की पत्रावली के साथ संलग्न नही हो पायी, जिससे अपीलाधीन आदेश बाबत जानकारी अपीलाण्ट को नहीं हो पायी। 21 जुलाई 2017 को मिसल मूल पत्रावली के साथ आने पर अपीलाधीन आदेश बाबत जानकारी हुई और बाद आवश्यक जानकारी आलोच्य अपील पेश की गयी, जो जानकारी की दिनांक से अंदर मियाद पेश की गयी है।

अतः प्रस्तुत अपील मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे और अपीलाण्ट्स को वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा नहीं हुआ है, अपीलाण्ट्स-अप्रार्थीगण विधिवत बंटवारा कराये बिना ही वादग्रस्त आराजियात का बेचान हस्तान्तरण कर रहे है, अतः दावा पेश किया गया है। वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्षकारान के पूर्व-पुरूष पीराराम के दो पुत्र नाथाराम व मोडाराम हुए, मोडाराम के एक पुत्र मूलाराम हुआ जबकि नाथाराम के दो पुत्र भोमाराम व खंगारराम हुए। भोमाराम के दो पुत्र आसुराम व खुमाराम हुए, जबकि खंगारराम के एक पुत्र राणाराम हुआ और राणाराम के तीन पुत्र केसाराम, चौथाराम, भगाराम तथा तीन पुत्रिया गवरी, अणची व तीजो हुई। केसाराम के एक पुत्र पपुराम व एक पुत्री चन्दुदेवी, भगाराम के एक पुत्र देवाराम हुआ।

वादग्रस्त आराजियात का आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया गया और खसरा संख्या 926, 1009, 1010, 1011, 1012 आसूराम, खुमाराम पिसरान भोमाराम के हिस्से में, खसरा संख्या 924, 1004, 1006 मूलाराम पुत्र मोडाराम के हिस्से में, खसरा संख्या 1003, 1005, 1043 केसा, चौथा पिसरान राणा, देवा पुत्र भगा व मीरो पत्नी भगा के हिस्से रखते हुए बकाया खसरा संख्या 923, 925, 1013 व 1014 की भूमि सामलाती रखी गयी। मगर उक्त बंटवारा असमान हुआ और कई पक्षकारों को इसमें वंचित रखा गया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय में दावा करना पडा। मगर उक्त असमान और विधि-विरूद्ध बंटवारे से लाभान्वित अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजियात का बेचान एवं हस्तान्तरण कर रहे है, इस कारण मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये वादग्रस्त आराजियात का मूल स्वरूप एवं अस्तित्व कायम रखा जाना नितान्त आवश्यक है। इसके अलावा रेस्पो. संख्या 6 पप्पु अपीलाण्ट संख्या दो का दत्तक पुत्र होने के संबंध में भी विवाद है। इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं न्याय की मंशा के अनुकूल होने से यथावत रखा जावे और अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

जहाँ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, इस संबंध में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम मय शपथपत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील का निस्तारण मियाद जैसे तकनिकी बिन्दु की बजाय गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाती है।

राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात वर्तमान में विभिन्न खाता नम्बरान में विभिन्न पक्षकारान के नाम खातेदारी में दर्ज है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 29 अगस्त 2014 को दर्ज करते हुए अंतरिम स्थगन आदेश इस आशय का जारी किया कि खेत खसरा संख्या 924, 1004, 1006, 926, 1009, 1010, 1011, 1012, 1003, 1005, 1043, 923, 925, 1013 व 1014 मौजा बादरसर पटवार क्षेत्र सेतरावा तहसील शेरगढ में अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वे बिना विभाजन वादग्रस्त आराजियात का बेचान/मुन्तकि नहीं करें एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 15 जुलाई 2016 उक्त अंतरिम स्थगन आदेश की मूल वाद के निस्तारण तक पुष्टि कर दी गयी। अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसमें कोई त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं की गयी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। वैसे भी वाद विचाराधीन रहने के दौरान वादग्रस्त सम्पत्ति का बेचान/अन्तरण निषिद्ध होता है। वाद विचारण के दौरान विवादित आराजियात को खुर्द-बुर्द होने, अन्तरण या अन्य प्रकार से मूल स्वरूप से विचति किये जाने बाबत रोकना ही अस्थाई निषेधाज्ञा का उद्धेश्य होता है। अतः मामले में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु का उससे पक्ष के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन करने पर वे रेस्पो. के पक्ष में प्रतीत होते है। इसके अलावा भी वादग्रस्त आराजियात के बेचान/अन्तरण पर रोक एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश से किसी पक्षकार को कोई अपूरणीय क्षति होने अथवा गम्भीर असुविधा होने की सम्भावना नजर नहीं आती है। अन्य बिन्दु जो वादग्रस्त आराजियात में पक्षकारान के स्वामित्व एवं हक-हकूक तथा दत्तक ग्रहण आदि से संबंधित है, उनका विनिश्चयन मूल वाद में किया जाना है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15 जुलाई 2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर